

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:- कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:-प.19(2)(2)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 24.07.2020 की अनुपालना में राज्य मुख्यालय-राजस्थान स्कूल परिषद् जयपुर कार्यालय में निम्नलिखित शिक्षा अधिकारियों की "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित स्थान पर प्रतिनियुक्त किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावे।

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम	वर्तमान पद मय विषय	कार्मिक आईडी	प्रतिनियुक्ति पद	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5	6
1	नरेन्द्र कुमार नेहरा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर	व्या. भूगोल	RJCR201712009564	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
2	नीरू पोटलिया, चादमा कला -फागी - जयपुर	व्या इतिहास,	RJNA199928010679	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3	समरवीर सिंह, मुदिक बसेडी - धौलपुर	व्या. राज. विज्ञान	RJDH201714004542	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4	श्रीकृष्ण मीना, बैरावास - खीवसर - नागौर	व्या. भूगोल	RJNA201728012285	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
5	सुनीता कुमारी, कादेडा - केकडी - अजमेर	व्या. जीव विज्ञान	RJAJ201701010925	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
6	नीरज सिंह यादव, - पोटलाकला भदेसर - चित्तौडगढ़	व्या. इतिहास	RJAL201302015308	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
7	रमेश चन्द मान, भरेव- लसाडिया - उदयपुर	व्या. हिन्दी	RJUD201739011728	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
8	रामचन्द्र डूडी, बीकमपुर - कोलायत - बीकानेर	व्या. राज. विज्ञान	RJHA201016004923	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
9	टीना चौधरी, खण्डीप गंगापुर सिटी - स0माधोपुर	व्या. संस्कृत	RJSM201732008521	सहायक निदेशक	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

(सौरभ स्वामी)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक 27/07/2020

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/समसा-प्रतिनियुक्ति/2020/31

प्रतिलिपि:- चिन्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी/संबंधित अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))